

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जेठवाडा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन नदियों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान: जेठवाडा

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना जेठवाडा एवं परिवार जेठवाडा व भू.अ.नि. जेठवाडा की रिपोर्ट तथा जेठवाडा तहसीलदार जेठवाडा की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जेठवाडा तहसील जेठवाडा जिला जेठवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 133 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जेठवाडा</u>	<u>133</u>	<u>राजु पुत्र रामजी भील</u>	<u>राजकुमार पुत्र रामजी भील</u>

(जेठवाडा) उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी जिला उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

क्रमांक :- 2021/706

दिनांक :- 03/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जेठवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री _____
3. रक्षित पत्रावली। राजकुमार पुत्र रामजी को सूचनार्थ।

(जेठवाडा) उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी जिला उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

अहोदय जी, निवेदन है कि ग्राम-बायडी की जमाबंदी संवत् 2075-78 की खाला स. 133 में खोतेदार का नाम राजु पुत्र रामजी दर्ज है जबकि इनके अन्य सभी पटचान संबंधी दस्तावेजों में नाम राजकुमार पुत्र रामजी दर्ज है। उक्त खोते में खोतेदार का नाम राजु पुत्र रामजी के बजाय राजकुमार पुत्र रामजी किया जाना उचित है।

Dind
01/12/21
ILR वडला

प. व. व. व.
4.11.21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुलाखिउ पटवारी व भू. अ. नि. की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान ग्राम बायडी की खाला स. 133 में खोतेदार का नाम राजकुमार पुत्र रामजी के बजाय राजकुमार पुत्र रामजी करने की अभिशंका की जाती है।

खेरवाड़ा
3/12/21
तहसीलदार-खेरवाड़ा
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान ग्राम बायडी की खाला स. 133 में खोतेदार का नाम राजकुमार पुत्र रामजी के बजाय राजकुमार पुत्र रामजी करने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुर (राज.)